न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी – एल.एन. मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 68/2016 (उदयपुर आर्डर

1. श्री दौला पिता नाथू जी डांगी निवासी सूलावास तहसील गिर्वा जिला जिला उदयपुर (राज0)
2. श्रीमती सजनी बाई बेवा धूला जी सालवी निवासी सूलावास तहसील गिर्वा जिला उदयपुर (राज0)
3. श्री डूंगा पिता नाथूजी डांगी निवासी सूलावास तहसील गिर्वा जिला उदयपुर (राज0)
4. श्री धूला पिता देवा जी डांगी निवासी सूलावास तहसील गिर्वा जिला उदयपुर (राज0)
5. श्री नारू पिता लाखमा जी सालवी निवासी सूलावास तहसील गिर्वा जिला उदयपुर (राज0)
6. श्री मेघा उर्फ मेघराज पिता भेरा जी डांगी निवासी सूलावास तहसील गिर्वा जिला उदयपुर (राज0)
7. श्री लखमा पिता भैरा जी डांगी निवासी सूलावास तहसील गिर्वा जिला उदयपुर (राज0)
8. श्री वीराराम उर्फ वीरा पिता खेमा जी डांगी निवासी सूलावास तहसील गिर्वा जिला उदयपुर (राज0)
9. श्री मोड़ा पिता रूपा जी डांगी निवासी सूलावास तहसील गिर्वा जिला उदयपुर (राज0)
10. श्री हरजी पिता रूपा जी डांगी निवासी सूलावास तहसील गिर्वा जिला उदयपुर (राज0)
11. पृथ्वीसिंह पिता गौतमसिंह जी राजपूत निवासी सूलावास तहसील गिर्वा जिला उदयपुर (राज0)
12. श्री सवा गोता जी डांगी निवासी सूलावास तहसील गिर्वा जिला उदयपुर (राज0)
13. बाबरिया उर्फ भैरूलाल पिता गोता उर्फ पेमा जी डांगी निवासी सूलावास तहसील गिर्वा जिला उदयपुर (राज0)
14. श्री अभयसिंह पिता हड़मतसिंह राजपूत निवासी सूलावास तहसील गिर्वा जिला उदयपुर (राज0)

..... अपीलान्ट्स

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार गिर्वा जिला उदयपुर (राज0)

..... रेस्पोन्डेन्ट

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान
भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश
जिला कलक्टर उदयपुर दि0 24–10–2016
प्रकरण संख्या 30/2016

————/————

उपस्थित :–1–श्री भीमराज पटेल अभिभाषक अपीलान्ट

2–श्री पंकज भटनागर राजकीय अधिवक्ता

————/————

आदेश **दिनांक 11–06–2018**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में उप–तहसीलदार कुराबड़ ने अपीलान्ट के विरूद्ध धारा–91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत कार्यवाही करते हुए अपीलान्ट को नोटिस जारी कर उनसे प्राप्त जवाब व साक्ष्यों का विवेचन करते हुए अपने निर्णय दिनांक 18–2–2015 से अपीलान्ट को ग्राम सूलावास के आराजी नंबर 213मीन रकबा .84 हैक्टर जो कि राजकीय प्रयोजनार्थ आरक्षित भूमि है, उस पर अपीलान्ट का स्वत्व नहीं होना मानते हुए अतिक्रमियों/अपीलान्ट को बेदखल किये जाने का आदेश पारित किया।

उप–तहसीलदार कुराबड़ के प्रकरण संख्या 143/2014 में आदेश बेदखली विरूद्ध अपीलान्ट दिनांक 18–2–2015 की अपील अधिनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर उदयपुर के यहां प्रकरण संख्या 30/2016 के रूप में दर्ज हुई। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर (प्रथम अपीलीय न्यायालय) द्वारा अपने निर्णय दिनांक 24–10–2016 से अपीलान्ट की अपील खारिज कर दी। पथम अपील निर्णय दिनांक 24–10–2016 से रूष्ट होकर अपीलान्ट द्वारा यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में दिनांक 3–11–2016 को पेश की।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्ट को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट सरकार की और से राजकीय अधिवक्ता श्री पंकज भटनागर ने उपस्थिति दी।

अधिनस्थ न्यायालयों की पत्रावलियां तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील अपीलान्ट द्वारा अपील मेमों में लिखित तथ्यों को ही दोहराते हुए अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को त्रुटिपूर्ण बताते हुए अपील अपीलान्ट स्वीकार किये जाने की प्रार्थना की, वहीं राजकीय अधिवक्ता ने अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय सही बताते हुए अपील अपीलान्ट खारिज करने की प्रार्थना की।

वकील अपीलान्ट के प्रमुख अपील उजर यह है कि साबिक आराजी नंबर 28 में से 7 बीघा तथा साबिक आराजी नंबर 30 में से रकबा 2 बीघा भूमि मिसल संख्या 207/1971 दिनांक 3–8–1971 से

आबादी में परिवर्तन कर जमाबन्दी सम्वत् 2031 में दाखला भी लगाया गया, तब से उक्त आबादी में अपीलान्ट निवास कर रहे है। तकनीकी कारणों से उन्हें पट्टा जारी नहीं हुआ। अधिनस्थ न्यायालय व अपीलीय न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्ध है। आबादी भूमि पर कब्जा सम्वत् 2031 से ही है। साबिक आराजी नंबर 28 के हाल साबिक नंबर 213मीन तथा साबिक आराजी नंबर 30 के हाल आराजी नंबर 212 बने है, जो कि सम्वत् 2044 की जमाबन्दी में आबादी का अंकन है, बाद की जमाबन्दीयों में यह शब्द आबादी हटाया गया। हाल आराजी नंबर 213 में से कुछ रकबा विधि विरूद्ध सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आरक्षित घोषित कर दिया गया । अधिनस्थ न्यायालय ने दस्तावेजात को नजर अन्दाज कर निर्णय पारित किया है। अपीलान्ट साबिक आराजी नंबर 30 जिसके हाल नंबर 212 है। उस पर काबिज है, लेकिन हल्का पटवारी द्वारा साबिक आराजी नंबर 28 जिसे हाल आराजी नंबर 213मीन है। उस पर अपीलान्ट का अवैद्य कब्जा बता रहे है। साबिक आराजी नंबर 28 जिसे हाल आराजी नंबर 213 मीन बने है, उसकी जगह साबिक आराजी नंबर 30 के नये नंबर 212 को पैमूद कर दिया है। 212 की जगह 213मीन पैमूद कर दिया है। विवादित भूमि आबादी की है, परन्तु भूमि को बिलानाम मान त्रुटिपूर्ण आदेश पारित किया गया है।

हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावलियों व इस न्यायालय में पेश शुदा दस्तावेज, रेकर्ड व प्लीडिंग्स तथा निर्णयों का अवलोकन किया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट का कब्जा आराजी नंबर 213मीन रकबा .84 हैक्टर भूमि पर पाया है। आराजी नंबर 213 व 212 की पैमूदगी से कोई विरोधाभाष होने का तथ्य रेकर्ड पर नहीं है। नामान्तरकरण संख्या 26 वर्ष 1972 से आराजी नंबर 28 रकबा 23 बीघा 2 बिस्वा में से 7 बीघा भूमि तथा आराजी नंबर 30 रकबा 42 बीघा 11 बिस्वा में से 2 बीघा भूमि आबादी में दर्ज करने का आदेश हुआ है। पेश शुदा मिलान क्षैत्रफल अनुसार हाल आराजी नंबर 212 साबिक आराजी नंबर 28/2 से बनी है तथा आराजी नंबर 213 साबिक आराजी नंबर 30 से बनी है। आराजी नंबर 212 का रकबा .275 हैक्टर है तथा 213 का रकबा 1.59 हैक्टर है। हाल आराजी नंबर 212 व 213 क्रमशः साबिक आराजी नंबर 28 व 30 के 28/2 व 30 मीन से बने है। आबादी रूपान्तरण साबिक आराजी नंबर 28 के 23 बीघा 2 बिस्वा में से करने से 5 बीघा का हुआ, यह अपीलान्ट के दायित्वाधीन था, परन्तु इस बाबत् काई साक्ष्य पेश नहीं की

गई है, इसी प्रकार साबिक आराजी नंबर 30 के रकबा 42 बीघा 11 बिस्वा में से कोनसी 2 बीघा भूमि आवंटित की गई है, यह अपीलान्ट द्वारा नहीं बताया गया है। हाल आराजी नंबर 212 व 213 बिलानाम दर्ज है तथा इन आराजीयात का साबिक आबादी आवंटन होने की कोई पुख्ता साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। अपीलान्ट इन्हें आबादी भूमि यदि मानता भी है, तो भी सिविल न्यायालय द्वारा भी इन भूमियों पर अपीलान्ट का वैद्य स्वामित्व नहीं होने बाबत् अपने प्रकरण संख्या 226/2014 निर्णय दिनांक 19–1–2015 से कब्जे को वैद्य नहीं माना है। आश्चर्यजनक रूप से अपीलान्ट राजस्व रेकार्ड में बिलानाम दर्ज भूमियों को आबादी की मानता है (हालांकि यह प्रमाणित नहीं होता) परन्तु वह स्वयं को आबादी में पट्टा प्राप्त नहीं होना भी बताता है, अर्थात अपीलान्ट आबादी भूमि में (बकोल उसके) उसका पट्टा नहीं होने के बावजूद स्वयं को अतिक्रमी नहीं मानता, क्योंकि अपना कब्जा पुराना होना बताता है।

प्रकरण में सुस्पष्ट रूप से आराजी नंबर 212 व 213 बिलानाम भूमियां है तथा आराजी नंबर 213 में से कुछ भूमि का राजकीय प्रयोजनार्थ आवंटन भी हुआ है। अपीलाधीन भूमियां आबादी की भूमियां नहीं है तथा सिविल न्यायालय द्वारा भी अपीलान्ट के कब्जे को वैद्य नहीं माना है, इन परिस्थितियों में अपीलान्ट को अतिक्रमी मानकर बेदखल किये जाने के आदेश व प्रथम अपील के आदेश मे हम किसी प्रकार की तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं पाते।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायाल का आदेश दिनांक 24–10–2016 यथावत रखा जाता है।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश आज दिनांक 11–06–2018 को मेरे हस्ताक्षर से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41. रूल 35 जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत ..... **भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ**. .....मुकाम ..... **उदयपुर** व इजलास ..... **एल.एन. मंत्री आर.ए.एस.** .....

श्री लालू पिता भेराजी भील (गमेती) निवासी वारणी तहसील मावली जिला उदयपुर (राज0)	बनाम	**मु. गंगाबाई बेवा खेमा जी भील (गमेती) निवासी वारणी, हाल भारोड़ी तहसील मावली जिला उदयपुर (राज0)**

अपील नं0 **2/2015** बनाराजगी डिगरी अदालत ..... **उपखण्ड अधिकारी** ..... **मावली** ... मुकाम मुर्क्खे.....**27**.....माह.....**11**..... **2014**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख .....**16**..... माह .....**08**..... सन् **2016** रूबरू... पक्षकारान व हाजरी ....श्री खेमराज डांगी..... मिनजानिब अपीलान्ट व ....अनुपस्थित ..... रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि **अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 27–11–2014 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपीली हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग ....X.... रूपये..... X .....अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का ..... X ..... अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख .....**16**..... माह ...**08**..... **2016** को जारी किया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेसपोन्डेन्ट	रू0	रू0
1. स्टाम्प अपील ....स्टाम्प वकालत नामा.... 2. इजराय हुक्मनामा ..... 3. वकील फीस बाबत ..... मीजान					

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा हर्जा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।